

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2020

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु किट्स/
कन्ज्यूमेबिल्स क्रय किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजस्व अनुभाग-10 के पत्र संख्या-653/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, दिनांक 20.10.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु के.जी.एम.यू. लखनऊ में किट्स/कन्ज्यूमेबिल्स क्रय किये जाने हेतु रु0 5500.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु कुल 14 प्रकार के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रु0 810.00 लाख अर्थात् कुल रु0 63 10 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3986--A/71-1-2020-जी-13/2016 टी0सी0-2, दिनांक 11.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में के.जी.एम.यू. लखनऊ में किट्स/कन्ज्यूमेबिल्स क्रय किये जाने हेतु आवंटित रु0 5500.00 लाख की धनराशि में से रु0 742.00 लाख की धनराशि उक्त पत्र दिनांक 11.12.2020 के संलग्नक-1 में उल्लिखित सूची के अनुसार कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के

अधीन संचालित 25 मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्थापित कोविड चिकित्सालयों में प्लास्टिक वेयर्स/ कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय हेतु अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त पत्र संख्या-653/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, दिनांक 20.10.2020 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(संजय गोयल)

सचिव।

संख्या-848(1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 10- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1,
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।

6